रम सं0-563

क्र	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

श्री विजय पासवान पिता स्व0 राजु पासवान, निवास स्थान मौजा-हुरहुरू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-122, प्लॉट संख्या-809, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि श्रीमती पूनम देवी पति घनश्याम पासवान, निवास स्थान ग्राम-डहरभंगा, थाना-टाटीझरिया, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.- RCMSON21013476 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-253/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2869/रा0 दिनांक 31.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 616 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत धनी गोड़ाईत हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 5.28 एकड़ है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 3.005 एकड़ है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-46/II पर मोती दुसाध वो उगन दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2018-19 तक लगान रसीद निर्गत् है। आवेदक के दादा के नाम से जमाबंदी कायम है। भूमि संयुक्त खाते की है। लगभग 0.43 एकड़ भूमि आवेदक के हिस्से में है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.35 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। आवेदक अपने हक हिस्से की भूमि बिक्री करना चाहते हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	3

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1424 दिनांक 07.09.2022 से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-हुरहुरू, थाना संख्या-147, खाता संख्या-122, प्लॉट संख्या-809, रकवा-08डी0 रैयती खाते की भूमि है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा चौहद्दी सहित मूल में, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक निर्गत् लगान रसीद की प्रति एवं आवेदक द्वारा समर्पित शपथ-पत्र की प्रति संलग्न किया गया है। ट्रेस नक्शा में प्रस्तावित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्री विजय पासवान पिता स्व0 राजु पासवान, निवास स्थान मौजा-हुरहुरू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-122, प्लॉट संख्या-809, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि श्रीमती पूनम देवी पति घनश्याम पासवान, निवास स्थान ग्राम-डहरभंगा, थाना-टाटीझरिया, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

13/9/22

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

13/9/22

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.14 16:13:36 +05:30
Location: 192.168.100.2